



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक Indian Overseas Bank

आपकी प्रगति का सच्चा साथी
Good people to grow with

असाधारण सामान्य बैठक के लिए नोटिस 23 सितंबर 2015, चेन्नै

**Notice for
Extraordinary
General Meeting
23rd September 2015, Chennai**



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

डिपॉजिटरी सेवाएँ शाखा

कैथीड्रल शाखा (मेज़ानिन फ्लोर)

762, अण्णा सालै, चेन्नै- 600002

दूरभाष- 28513617/3618 फैक्स :28513619

ईमेल: deposit@chemsco.iobnet.co.in

संपर्क व्यक्ति - श्री वी. श्रीनिवासन/ श्री पी. के. मुरली

Indian Overseas Bank

DEPOSITORY SERVICES BRANCH

Cathedral Branch (Mezzanine Floor),

762, Anna Salai, Chennai 600 002

Phone 28513617/3618 Fax - 28513619

email - deposit@chemsco.iobnet.co.in

Contact persons - Mr.V. Srinivasan/Mr.P.K. Murali

भौतिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अपील

- ★ क्या आप अपने भौतिक शेयरों को हानि या चोरी से बचना चाहते हैं ?
- ★ क्या आप शेयरों के अंतरण में लगने वाले स्टाम्प शुल्क तथा देरी से बचना चाहते हैं ?
- ★ क्या आप अपने शेयरों को बेचना तथा आय जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं ?
- ★ क्या आप लाभांश राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहते हैं ?
- ★ क्या आप अपने सभी धारितों को एक बार में पता / बैंक खाता नामिति के परिवर्तन को संप्रेषित करना चाहते हैं ?
- ★ क्या आप सार्वजनिक / राइट्स निर्गम के माध्यम से शेयरों में लगे निवेश के इच्छुक हैं ?

इन सभी सवालों का एक मात्र जवाब हमारे साथ डीमैट खाता कोलते हुए भौतिक शेयरों को डीमैट में परिवर्तित करना है।

**आइ ओ बी के साथ डीमैट खाता खोलें
(www.iob.in में सूचीबद्ध चुनिंदा शाखाओं में)
तथा निम्नलिखित अन्य/ लाभ उठाएं**

- ★ अपना शेयर शेष ऑनलाइन देखें
- ★ शेयरों पर आसानी से ऋण प्राप्त करें
- ★ उसी डीमैट खाते में म्यूचुअल फंड / बॉण्ड / गोल्ड ई टी एफ रखें
- ★ प्रत्येक नाम के लिए एस एम एस अलर्ट प्राप्त करें
- ★ पोर्टफोलियो की कीमत में अनुकूल परिवर्तन पर प्रतिदिन एस एम एस अलर्ट प्राप्त करें
- ★ नामिती को शेयरों का तत्काल अंतरण
- ★ धारित मूल्य पर आधारित रियायती ए एम सी प्रभार
- ★ अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर भी डीमैट खाता खोलकर और शेयरों का अंतरण करते हुए उन्हें शेयरों के रूप में अपनी सम्पत्ति वितरित करें।

आइओबी ई- ट्रेडिंग

हमने भारत के अग्रणी ब्रोकरेज हाउस के साथ गठजोड़ करके आइओबी ई- ट्रेडिंग सुविधा शुरू की है। आइओबी ई- ट्रेडिंग तेज, आसान, पारदर्शी, बाधा मुक्त एवं आसान है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.iob.in पर लॉगइन करें या डिपॉजिटरी सर्विसेज. शाखा, चेन्नै से संपर्क करें।

APPEAL TO SHAREHOLDERS HOLDING PHYSICAL SHARES

- ★ Do you want to prevent loss or theft or damage to your physical shares?
- ★ Do you want to avoid incurring stamp duty and delay in transfer of shares?
- ★ Do you want to sell your shares and realize the proceeds quickly?
- ★ Do you intend to receive credit of dividend amount into your Bank account directly?
- ★ Do you want to communicate change of address/ Bank account/nominee to all your holdings at one go?
- ★ Do you wish to make further investments in shares through Public/Rights Issues?

THE ONLY ANSWER TO ALL THESE QUESTIONS IS TO CONVERT YOUR PHYSICAL SHARES INTO DEMAT BY OPENING A DEMAT ACCOUNT WITH US.

**Open demat account with IOB
(at select branches listed
in www.iob.in) and enjoy the
following other benefits.**

- ★ View your share balances online
- ★ Raise loan on the shares easily
- ★ Keep Mutual Fund/Bond/Gold ETF in the same demat account
- ★ Get SMS alert for each debit
- ★ Receive daily SMS alert on favourable change in the value of portfolio
- ★ Instant transfer of shares to nominee
- ★ Concessional AMC charges depending on holding value
- ★ Distribute your wealth in the form of shares among your family members by opening demat account in their names and transferring the shares

IOB e-Trading

We have recently launched IOB e-Trading facility in tie up with one of the India's leading brokerage houses. IOB e-Trading is fast, easy, transparent, hassle free and convenient. Please log on to www.iob.in or contact Depository Services Branch, Chennai, for further details.



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

केन्द्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

शेयरधारकों को नोटिस

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक बुधवार, दिनांक 23 सितंबर 2015 को सुबह 10.00 बजे सद्गुरु ज्ञानानंदा हॉल, नारद गान सभा, 318, टीटीके रोड, अलवारपेट, चेन्नै - 600 018 में निम्नलिखित कार्य हेतु आयोजित की जाएगी :

निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विशेष संकल्प (संकल्पों) के रूप में विचार करना और पारित करना :

संकल्प किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम 2003, 2008 तक यथा संशोधित और इस संबंध में यथा अपेक्षित भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), और / या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन, सहमति और मंजूरी, यदि कोई हो, किए जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों और उनके संशोधनों के अधीन जैसा कि उनके द्वारा ऐसे अनुमोदन करने में निर्धारित किए गए हों जिसके लिए बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो और जो सेबी (पूँजी निर्गमन और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम 2009 सेबी (आई सी डी आर) विनियम और भारतीय रिजर्व बैंक व सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा समय समय पर निर्धारित विनियमों के अधीन और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूची करार के अधीन जहाँ बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति को बैंक के निदेशक मंडल की सहमति एतद्वारा दी जाती है। (आगे से जिसे "बोर्ड" कहा जाएगा और जिसमें ऐसी कोई भी समिति शामिल रहेगी जिसे बोर्ड ने गठित किया हो या आगे किया जाएगा ताकि वह अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके जिसमें इस संकल्प द्वारा दिए गए अधिकार भी शामिल हैं)

भारत सरकार (भारत के राष्ट्रपति) को अधिमानीय आधार पर (आईसीडीआर) विनियमों के विनियमन 76(1) के तहत रुपए 2009 करोड़ (रुपए दो हजार नौ करोड़) की हद तक बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार रुपए 41.37 प्रति इक्विटी शेयर (रुपए 31.37 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम दर पर नकद में रुपए 10 प्रति शेयर के हिसाब से 48,56,17,597 (अड़तालीस करोड़, छप्पन लाख, सत्रह हजार पांच सौ सत्तानवे) इक्विटी शेयरों को सृजित, प्रस्तावित, निर्गमित व आबंटित किया जाएगा।

Indian Overseas Bank

Central Office

763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank will be held on Wednesday, 23rd September 2015, at 10.00 a.m. at Sathguru Gnananda Hall, Narada Gana Sabha, 318, TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018 to transact the following business:

1. To consider and if thought fit pass the following resolution(s) as Special Resolution(s):
“RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (ACT) and Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 as amended upto 2008 and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called “the Board” which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot upto 48,56,17,597 (Forty Eight Crore Fifty Six Lac Seventeen Thousand Five Hundred and Ninety Seven) equity shares of Rs.10/- each (Rupees Ten only) for cash at Issue Price of Rs.41.37 per equity share (including premium of Rs.31.37 per equity share) aggregating up to Rs.2009 crore (Rupees Two Thousand and Nine Crore only) as determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI (ICDR) Regulations on preferential basis to Government of India (President of India).



“आगे संकल्प किया जाता है कि इश्यू कीमत निर्धारित करने की संबंधित तिथि है 24 अगस्त 2015।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को प्राधिकार और अधिकार होगा कि वह मंडल की सहमति के अनुरूप निर्गमन, आबंटन और उनको सूचीबद्ध करने हेतु अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनुमतियों और मान्यता/मंजूरी देते समय भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित और अधिरोपित अनुसार प्रस्ताव में कोई भी संशोधन करे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि जारी किए जाने वाले कथित ईक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयरों के समरूप स्तर के होंगे और वे ऐसी घोषणा के समय प्रचलित सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुसार घोषित लाभांश यदि कोई हो, के पात्र होंगे।”

“आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को लागू करने के लिए मंडल को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह उसके विवेकाधिकार के तहत आवश्यक समुचित व वांछनीय कार्रवाई, करार, मामले और कार्य निपटा सके और ईक्विटी शेयरों के निर्गमन के समय उत्पन्न होने वाले प्रश्नों, समस्याओं या संदेहों को निपटा सके और आगे ऐसे सभी मामलों व कार्यों को अंतिम रूप दे सके और उसके विधिवत विवेकाधिकार के तहत उचित व आवश्यक, वांछित व लाभकर दस्तावेजों व लेखन कार्य का निपटान करें जो उनके विवेकाधिकार के अनुरूप उचित, वांछनीय हों तथा जिसके लिए शेयरधारकों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता न हो। ऐसा समझा जाए कि इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त प्राधिकार द्वारा अभिव्यक्त अनुमोदन प्राप्त हो गया हो।”

आगे संकल्प किया जाता है कि मंडल को एतद्वारा प्राधिकार दिया जाता है कि वे सभी अधिकारों या उनको दिए गए अधिकारों से किसी एक को बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कार्यपालक निदेशक या किसी अन्य अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है जो कथित संकल्प को लागू करने के लिए उपयुक्त हो।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

(पवन कुमार बजाज)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 25/08/2015

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 24th August 2015."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalize and execute all documents and writings as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorize to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Managing Director & Chief Executive Officer or Executive Directors or such other officer of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

By order of the Board of Directors

(Pawan Kumar Bajaj)
Executive Director

Place: Chennai

Date : 25/08/2015



टिप्पणियाँ :

1. बैठक की कार्यवाही के संबंध में वास्तविक तथ्यों का व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. परोक्षी की नियुक्ति

बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु एक परोक्षी नियुक्त कर सकते हैं और आवश्यक नहीं कि ऐसा परोक्षी बैंक का शेयरधारक हो। परोक्षी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए उसे असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात् शुक्रवार, 18 सितंबर 2015 को शाम 5.00 बजे कार्य समाप्ति से पहले बैंक के केंद्रीय कार्यालय स्थित महा प्रबंधक (निवेशक संबंध), इण्डियन ओवरसीज बैंक, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 के यहाँ जमा करना चाहिए।

3. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निकाय निगम के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैठक में भाग लेने या वोट करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि संबंधित संकल्प की एक प्रति, जो कि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्यापित की हुई प्रमाणित प्रति होनी चाहिए जिसमें वह संकल्प पारित हुआ था, को महाप्रबंधक (निवेशक संबंध) इण्डियन ओवरसीज बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व (उससे कम नहीं) अर्थात् शुक्रवार, 18 सितंबर 2015 को शाम 5.00 बजे बजे के कार्य समाप्ति तक या उससे पहले जमा नहीं कर दी जाती।

4. उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश पत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/ परोक्षियों/ प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-पत्रक-सह-प्रवेश-पत्र को भरकर निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसे बैठक के स्थान पर प्रस्तुत कर दें। शेयरधारक के "परोक्षी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि" द्वारा उपस्थित पत्रक पर परोक्षी या प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK. The Proxy form, in order to be effective, must be received by the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e., on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Friday 18th September 2015.

3. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be the true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited with the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e., on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Friday 18th September 2015.

4. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-Cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/ Proxy holders / Authorised Representatives are requested to affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy / Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-Cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be.



5. वोटिंग अधिकार

अधिनियम की धारा 3 के उप-खंड (2ई) के प्रावधानों के अनुसार समवर्ती नए बैंक के किसी भी शेयरधारक को केंद्र सरकार के अलावा, अपने द्वारा धारित किसी भी शेयर के सम्बन्ध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना एवं विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन के मामले में जिसकी वजह से सूचना में दी गई वर्तमान प्रक्रिया में किसी या हिस्से में बदलाव होता है तो संशोधन ही मान्य होगा।

6. रिमोट ई-वोटिंग

स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टिंग करार के उपबंध 35बी के अनुसरण में बैंक को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में खुशी हो रही है जिससे शेयरधारक अपना वोट सूचना में वर्णित मदों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट दे पाएंगे, इसके लिए बैंक ने ई-प्लेटफॉर्म सुविधा प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड को ई-वोटिंग एजेंसी के तौर पर नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा बुधवार तक धारित इक्विटी शेयरों के सम्बन्ध में ही उनके वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 16 सितम्बर 2015 अंतिम तिथि है। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्न प्रकार से हैं :

सदस्यों से आग्रह है कि वे ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट डालने के लिए निम्न अनुदेशों का पालन करें :

- ए) ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित यूआरएल खोलें : <https://www.evoting.nsdl.com>.
- बी) लॉगइन प्रमाण प्रविष्ट करें यानि यूजर आइडी एवं पासवर्ड। आपका फोलियो / डीपी क्लाइंट आइडी ही आपकी यूजर आइडी होगी। यदि आप ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के पास पहले से ही पंजीकृत हैं तब आप अपनी मौजूदा यूजर आइडी और पासवर्ड का उपयोग लॉगइन के लिए कर सकते हैं।
- सी) यदि आपने पास पासवर्ड नहीं है तो आप evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल को लिख सकते हैं और पासवर्ड पा सकते हैं।
- डी) समुचित रूप से विवरण की प्रविष्टि के बाद, "लॉगइन" पर क्लिक करें।
- इ) ऊपर पहले बिन्दु में दर्ज किए गए यूजर आइडी और पासवर्ड को शुरुआती पासवर्ड के तौर पर डालें। लॉगइन क्लिक करें।
- एफ) यदि आप पहली बार लॉगइन कर रहे हैं तो पासवर्ड बदलने

5. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the ACT, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. In case of any amendments to the Act, Regulation Act, Scheme and Regulations which would result in change of any or part of the existing process as laid in this Notice, the amendment shall prevail.

6. REMOTE E-VOTING

Pursuant to Clause 35B of Listing Agreement with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the items mentioned in the notice for which Bank has appointed National Securities Depository Limited as e-voting agency to provide the e-voting platform. E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Wednesday, 16th September 2015 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically.

The instructions for Remote E-Voting are as under:

Members are requested to follow the instruction below to cast their vote through e-voting:

- a. Open the following URL for e-voting: <https://www.evoting.nsdl.com>.
- b. Enter the login credentials i.e. User ID and Password. Your Folio / DP Client ID will be your User ID. If you are already registered with NSDL for e-voting then you can use your existing User ID and Password for Login.
- c. In case you do not have a Password you may write to NSDL on evoting@nsdl.com and get your Password.
- d. After entering the details appropriately, click on "LOGIN".
- e. Put User ID and Password noted in step (a) above as the Initial Password. Click login.



का मेन्यू दिखाई देगा। अपनी पसंद के हिसाब से पासवर्ड बदलें जिसमें कम से कम 8 अंक / विशेष चिह्न या दोनों का मेल होना चाहिए। भविष्य में एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर ऑफर किए जाने वाले ई-वोटिंग चक्रों के लिए नए पासवर्ड को नोट कर लें। यह सख्ती से प्रस्तावित किया जाता है कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा नहीं करेंगे और अपने पासवर्ड को गुप्त रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतेंगे।

जी) “ई - वोटिंग” का ई-पृष्ठ खोलें। “ई-वोटिंग” विकल्प पर क्लिक करें : वोटिंग साइकिल सक्रिय करें।

एच) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की “इवेन (ई-वोटिंग इवेन्ट संख्या)” का चयन करें। जब तक कि आप वोटिंग अवधि के दौरान संकल्प पर अपना वोट नहीं दे देते, एक इवेन के लिए, आप एनएसडीएल के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर जितनी बार चाहें उतनी बार लॉगइन कर सकते हैं।

आई) अब जैसे ही “कास्ट वोट” पेज खुलता है आप “ई-वोटिंग” के लिए तैयार रहें।

जे) उपयुक्त विकल्प चुनकर अपने मत का प्रयोग करें एवं “सबमिट” पर क्लिक करें एवं पूछने पर “कन्फर्म” पर क्लिक करें।

के) पुष्टि के पश्चात “वोटिंग कास्ट सक्सेजफुल्ली” संदेश प्रदर्शित होगा।

एल) कृपया ध्यान दें कि वोट डाल दिए जाने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है।

एम) संस्थागत सदस्य (उदहारणार्थ वैयक्तिकों, अविभाजित हिंदू परिवार, एनआरआई इत्यादि से इतर सदस्य) को भी बोर्ड संकल्प से संबंधित/ प्राधिकृत पत्र इत्यादि की (पीडीएफ/ जेपीजी प्रारूप में) स्कैनड कॉपी को पूर्ण रूप से प्राधिकृत अधिकारी जिसे कि संवीक्षक को ई-मेल : snv@snaco.net के माध्यम वोट करने का अधिकार हो एवं एक प्रतिलिपि evoting@nsdl.co.in के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षरों के साथ भेजना होगा। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप <http://www.evoting.nsdl.com> के “डाउनलोड” सेक्शन पर शेयर धारकों के लिए उपलब्ध प्रायः पूछे गए प्रश्न (एफएक्यूज) विकल्प एवं शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग प्रयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं अथवा evoting@nsdl.co.in पर ई-मेल के माध्यम से अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-222-990 पर संपर्क कर सकते हैं।

एन) आप फोलियो की प्रयोगकर्ता प्रोफाइल डिटेल विकल्प का प्रयोग करके अपना मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं जिसे कि भविष्य में संपर्क के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

f. If you are logging in for the first time, Password Change Menu appears. Change the Password of your choice with minimum 8 digits / character or a combination thereof. Please note the new Password for all the future e-voting cycles offered on NSDL e-voting Platform. It is strongly recommended not to share your Password with any other persons and take utmost care to keep your Password confidential.

g. Home page of “e-voting” opens. Click on “e-voting”: Active voting cycles.

h. Select “EVEN (E-voting Event Number)” of INDIAN OVERSEAS BANK For an even, you can login any number of times on e-voting platform of NSDL till you have voted on the resolution during the voting period.

i. Now you are ready for “e-voting” as “Cast Vote” Page opens.

j. Cast your vote by selecting appropriate option and click “Submit” and also “Confirm” when prompted.

k. Upon confirmation, the message “Voting cast successfully” will be displayed.

l. Kindly note that vote once casted cannot be modified.

m. Institutional members (i.e. members other than individuals, HUF, NRIs, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG format) of the relevant board resolution / authority letter, etc. together with the attested specimen signature(s) of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through email at: snv@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in. In case of any queries you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting User Manual for Shareholders available at “downloads” section of <https://www.evoting.nsdl.com> or contact by email at evoting@nsdl.co.in or contact toll free no: 1800-222-990.

n. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile detail of the folio, which may be used for sending future communication.



ओ) रिमोट ई-वोटिंग की शुरुआत दिनांक 20.09.2015 (9:00 बजे पूर्वाह्न) से होगी एवं यह दिनांक 22.09.2015 (सांय 5:00 बजे) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक निर्दिष्ट तिथि 16.09.2015 तक चाहें उनके पास भौतिक रूप में शेयर हों या डी-मैट रूप में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं। शेयरधारक द्वारा एक बार वोट डाल दिए जाने पर उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव या संशोधन की अनुमति नहीं होगी।

पी) शेयरधारकों के वोटिंग के अधिकार निर्दिष्ट तारीख पर बैंक की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके शेयर के अनुपात के आधार पर होंगे।

क्यू) बैंक ने ई-वोटिंग प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरह से आयोजित करने के लिए मेसर्स एस. एन. अनन्त सुब्रह्मण्यम एंड कम्पनी, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव को संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

आर) संवीक्षक ई-वोटिंग के बाद 3 कार्यदिवसों के अंदर-अंदर दो गवाहों की उपस्थिति में जो कि बैंक के कर्मचारी नहीं होंगे, मतों को खोलेगा एवं तत्काल बैंक के अध्यक्ष के पक्ष में हो या विपक्ष में मतदान संवीक्षा रिपोर्ट तैयार करेगा।

एस) ऐसे लोग जो रिमोट ई-वोटिंग का विकल्प नहीं चुनते हैं वे इस नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण खंड में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार दिनांक 23 सितंबर 2015 को आयोजित होने वाली बैठक में आयोजित मतदान में अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं।

टी) ई-वोटिंग के परिणाम बैंक के ईजीएम के दिन या उसके बाद घोषित किए जाएंगे। परिणामों को संवीक्षा रिपोर्ट के साथ ईजीएम के दो दिनों के अंदर बैंक की वेबसाइट पर बैंक के www.iob.in एवं एनएसडीएल की वेबसाइट <http://www.evoting.nsdl.com> पर भी प्रदर्शित किया जाएगा एवं एनएसई/बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

7. 23 सितंबर, 2015 को वोटिंग प्रक्रिया

कार्यवृत्त मदों पर चर्चा के पश्चात, कार्यवृत्त मदों के सम्बन्ध में बैंक वोटिंग आयोजित करेगा। वोटिंग का आयोजन और उसका पर्यवेक्षण इस उद्देश्य के लिए नियुक्त जांचकर्ताओं द्वारा किया

o. The remote e-voting period commences on 20.09.2015 (9.00 a.m.) and ends on 22.09.2015 (5.00 p.m.). During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialised form, as on 16.09.2015 i.e. the cut-off date, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once a vote is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change or modify it subsequently.

p. The voting rights of the Shareholders shall be in proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date.

q. The Bank has appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & CO., Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

r. The Scrutinizer shall within a period not exceeding three working days from the conclusion of the remote e-voting period unblock the votes in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank and make a Scrutinizer's Report of the votes cast in favour or against, if any, forthwith to the Chairman of the Bank.

s. Those who do not opt for remote e-voting can cast their votes at the Poll to be conducted at the meeting on 23rd September, 2015 as per the procedure stated in the Explanatory Statement section of this Notice.

t. The Results of the e-voting shall be declared on or after the EGM of the Bank. The Results declared along with Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website i.e. www.iob.in and on the website of NSDL i.e. <https://www.evoting.nsdl.com> within two days of the EGM of the Bank and also communicated to NSE/BSE.

7. VOTING PROCESS on 23rd September, 2015

After the agenda item has been discussed, the bank will conduct voting in respect of the agenda item. Voting will be conducted and supervised by



जाएगा। सामान्य बैठक के स्थान पर मौजूद शेयरधारकों / प्रॉक्सी(यों)/ प्राधिकृत प्रतिनिधि(यों) द्वारा वोटिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वोट डाला जा सकता है। हालांकि, शेयरधारक जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट पहले ही डाल दिया है वे बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया में शामिल होने के पात्र नहीं होंगे। वोटिंग की समाप्ति के बाद, अध्यक्ष इस बैठक को समाप्त घोषित करेंगे।

ई-वोटिंग के साथ, बैठक के स्थान पर हुई वोटिंग को मिलाकर बैंक द्वारा परिणाम उसकी वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

अध्याय VII (सेबी आइ सी डी आर) विनियम 2009 के संदर्भ में अपेक्षितानुसार व्याख्यात्मक विवरण और प्रकटन

दिनांक 22.08.2015 को आयोजित अपनी बैठक में बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक को आयोजित करने के लिए बैंक को प्राधिकृत किया गया ताकि केंद्रीय सरकार को अधिमानीय तौर पर प्रस्तावित शेयरों के निर्गमन हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

पूँजी पर्याप्तता के संदर्भ में बेसल III अपेक्षाओं के अनुपालन की दृष्टि से पूँजी में वृद्धि करने की लगातार आवश्यकता है। सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार बैंकों में अतिरिक्त ईक्विटी पूँजी डालने का प्रस्ताव देती है। जुटाई गई पूँजी का प्रयोग बैंक की पूँजी पर्याप्तता को बढने और बैंक की सामान्य कारोबारी आवश्यकताओं का वित्तपोषण करने में किया जाएगा।

ए. प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों को बैंक के प्रवर्तक - भारत सरकार की योजनाओं द्वारा अंशदानित किया जाएगा और बैंक का कोई भी निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति इश्यू क्रय की मंशा नहीं रखेगा।

बी. दिनांक 24.08.2015 तक के लिए इश्यू से पहले और बाद का शेयरधारित पैटर्न निम्नवत होगा।

Scrutinizers to be appointed for the purpose. The shareholders/Proxy (ies)/Authorised Representative(s) present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process at the venue of the meeting. After conclusion of the voting, the Chairman will declare the meeting as closed.

The Results of the voting at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank in its website and also informed to the stock exchanges.

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter VII (SEBI ICDR Regulations), 2009

The Board of Directors of the Bank have at their meeting held on 22.08.2015 authorized the Bank to convene an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank with a view to obtain the approval of the shareholders to the proposed Preferential Issue of Shares to be made to the Central Government.

With a view to comply with BASEL III requirements relating to capital adequacy, there is an ever increasing need to raise capital. Government of India (GOI) proposes to infuse additional equity capital into the Bank as part of its commitment to strengthen the government owned financial institutions and banks. The capital raised would be utilized to shore up the capital adequacy of the Bank and to fund the general business needs of the Bank.

a) The proposed offer of equity shares will be subscribed by GOI – the Promoter of the Bank and none of the Directors or Key Management Persons of the Bank intend to subscribe to the Issue.

b) Shareholding Pattern before and after the Issue as on 24.08.2015 will be as below:



क्रम सं. Sl. No.	वर्ग Category	इश्यू के पहले(24.08.2015 को) Before the Issue as on 24.08.2015		इश्यू के बाद After the issue	
		धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता की प्रतिशतता Percentage of share holding	धारित शेयरों की संख्या No. of shares held	शेयरधारिता की प्रतिशतता Percentage of shareholding
ए. A.	अप्रवर्तकों की धारिता Promoter's Holding:				
	प्रवर्तक Promoters				
	भारत सरकार GOI	911710848	73.80	1397328445	81.19
बा. B.	गैर प्रवर्तकों की धारिता Non Promoter Holding:				
	जनता Public	323637467	26.20	323637467	18.81
	कुल योग Grand Total	1235348315	100.00	1720965912	100.00

सी. सेबी (आईसीडीआर) विनियमों में सूचित निर्धारित समय के अंदर ही इश्यू प्रक्रिया पूरा करने के लिए बैंक प्रयासरत है।

डी. भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 19 अगस्त 2015 के जरिए सूचित किया है कि बैंक में भारत सरकार के पक्ष में अधिमानीय ईक्विटी के रूप में 2009 करोड़ रुपए तक की पूंजी निधि के अंतर्वाह का निर्णय लिया गया है। चूंकि यह इश्यू भारत सरकार, मुख्य शेयरधारकों व बैंक के प्रवर्तकों के पक्ष में किया जाना है अतः नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

इश्यू के पहले और बाद की भारत सरकार का शेयरधारिता निम्नवत होगी :

	शेयरों की संख्या	पूँजी की प्रतिशतता
इश्यू के पहले (24 अगस्त 2015 तक)	911710848	73.80
इश्यू के बाद	1397328445	81.19

ई. चूंकि भारत सरकार (प्रवर्तक) की शेयरधारिता में 5 प्रतिशत से अधिक का परिवर्तन होगा, प्रस्तावित अधिमानीय आबंटन पर कथित विनियमनों के प्रावधानों की वैधता से रियायत या छूट के लिए सेबी ने सेबी विनियमन 2011 के तहत अपेक्षित आवेदन कर दिया गया है और आबंटन अनुमोदन प्राप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए।

एफ. बैंक का ईक्विटी शेयर 6 माह से अधिक अवधि के लिए सूचीबद्ध है व तदनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के विनियम 76 (3) और 78 (5) के प्रावधान व सेबी (आईसीडीआर) विनियमन 2009 के विनियमन 73 (1)

c) The Bank endeavors to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations.

d) GOI vide their letter dated 19th August 2015 has communicated its decision to infuse capital funds to the extent of Rs.2009 crore as preferential equity in the Bank in favour of GOI. As the issue is proposed to be made only to GOI, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the GOI would be as under.

	Number of Shares	Percentage to Capital
Pre Issue (as on 24 th August 2015)	911710848	73.80
Post Issue	1397328445	81.19

e) As there would be more than 5% change in the shareholding of GOI (the Promoter), application as required under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 has been made with SEBI for exemption from the applicability of the provisions of the said Regulations to the proposed preferential allotment and allotment shall be made on receipt of the approval.

f) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI ICDR Regulations and the disclosures under Regulation 73



(एफ) एवं (जी) लागू नहीं है।

जी. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किया गया इस आशय के प्रमाणपत्र को कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुसार इश्यू को जारी किया गया है, असाधारण सामान्य बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

एच. स्टॉक एक्सचेंजों, जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, के साथ हुए सूची करार में विनिर्दिष्ट ईक्विटी शेयरों के सूचीकरण के निबंधनों का बैंक लगातार अनुपालन कर रहा है।

आइ. अधिमानीय इश्यू के लिए सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रवर्तकों यानी भारत सरकार को अधिमानीय आधार पर जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से तीन वर्ष के लिए लॉक इन रहेंगे।

जे. भारत सरकार की समूची अधिमान पूर्व धारिता एक अवधि के लिए लॉकड रहेगी जो संबंधित तारीख से शुरू होकर स्टॉक एक्सचेंज द्वारा प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए मंजूर ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए होगी।

के. संबंधित तारीखों के पूर्व छः महीनों के दौरान भारत सरकार ने एक भी ईक्विटी शेयर को नहीं बेचा है।

एल. स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूची करार के उपबंध 23 के अनुसार व सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के विनियम 72 के अनुसार शेयरधारकों का अनुमोदन एक विशेष संकल्प द्वारा वांछित है। ताकि अधिमानीय आधार पर शेयरों को जारी किया जा सके।

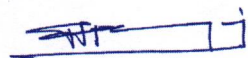
एम. बैंक सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार ईक्विटी शेयरों की कीमत की पुनर्गणना करता है, जहाँ ऐसा करना आवश्यक होता है।

एन. बैंक वचन देता है कि कीमतों की पुनर्गणना के कारण देय राशि इन विनियमनों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न दिए जाने पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियाँ लॉक रहेंगी जब तक आबंटिती द्वारा देय राशि का भुगतान न किया जाए।

नोटिस के मद संख्या 1 में विहित विशिष्ट संकल्प की संस्तुति आपके निदेशकों द्वारा की जाती है।

बैंक के किसी भी निदेशक का संकल्प से कोई संबंध नहीं है और न ही किसी निदेशक का उसमें कोई हित है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार



(पवन कुमार बजाज)
कार्यपालक निदेशक

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 25/08/2015

(1) (f) & (g) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009 are not applicable.

g) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

h) The Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed.

i) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preference basis to the promoters i.e., GOI and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.

j) The entire pre-preferential holding of GOI will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of trading approval granted by the Stock Exchange to the proposed issue of equity shares.

k) The GOI has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the relevant date.

l) In terms of Clause 23 of the Listing Agreement entered into with the Stock Exchanges and in terms of Regulation 72 of the SEBI ICDR Regulations, approval of shareholders is being sought by way of a Special Resolution for issue of shares on preferential basis.

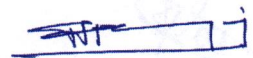
m) The Bank undertakes to re-compute the price of the equity shares in terms of the provisions of SEBI ICDR Regulations where it is required to do so.

n) The Bank undertakes that if the amount payable on account of the Re-computation of price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in, till the time such amount is paid by the allottee.

Your directors recommend the Special Resolution as set out in Item No.1 of the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the resolution.

By order of the Board of Directors



(Pawan Kumar Bajaj)
Executive Director

Place: Chennai

Date : 25/08/2015



INDIAN OVERSEAS BANK

Investor Relations Cell,
Balance Sheet Management Department (BSMD),
Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002
TAMIL NADU, INDIA
BSMD/IRC/ /2015-16

Telephone : 044 -71729791, 28415702
E-Mail : investor@iobnet.co.in
FAX : 044 - 28585675

25.08.2015

Dear Shareholder,

**Green Initiative in Corporate Governance - seeking your consent
and e-mail address for e-mail communication**

The Ministry of Corporate Affairs (MCA) has taken a "Green Initiative with regard to Corporate Governance" by allowing paperless compliance by the companies and clarified that the service of documents by companies to Shareholders can be made through electronic mode.

As you are aware, the above move by the Ministry of Corporate Affairs has received support from the Investing public. Your Bank also recognizes the benefits of this initiative as well as opportunity available to the Bank and the Shareholders for their contribution to greener environment.

In compliance thereof, your Bank proposes to implement the same by sending the Annual Reports/Notices of Meetings and other communication to Shareholders in electronic mode to the e-mail address provided by them.

We enclose herewith a "business reply inland letter" where you are requested to fill up the details such as your name, folio number/DP-id / client-id, your e-mail address and landline/mobile number in addition to expressing your consent for receiving Annual Reports/Notices and other communications from us through e-mail mode.

We therefore request you to kindly register your e-mail ID with us by duly filling up the enclosed Inland Letter and send the same to us.

We wish to inform that we also publish Annual Reports, Notices of Meetings and other communication from the bank in our website www.iob.in.

We further inform that you can visit the website of our Share Transfer Agent M/s.Cameo Corporate Services at <http://green.cameoindia.com> and register online your e-mail for receiving Bank's Annual report/Notices of Meetings etc by soft copy only.

If however, any Shareholder insists for receiving hard copies of the above documents, the same will be sent free of cost.

We seek your Patronage for the Green Initiative in Corporate Governance.

Yours sincerely,

(S. Kalpaga Rani)
Assistant General Manager

अन्तरदेशीय पत्र कार्ड
INLAND LETTER CARD

BUSINESS REPLY INLAND LETTER

Postage
will be paid
by the
addressee

Permit No.: TN / ARD / BRP / 155
Anna Road, H.P.O., Chennai - 600 002.

To
Cameo Corporate Services Ltd.
Unit : Indian Overseas Bank
V Floor, Subramanian Building,
No. 1, Club House Road,
Chennai - 600 002.

No Postage
stamp
necessary if
posted
in India

दूसरा मोड SECOND FOLD

(SENDER'S NAME AND ADDRESS)

पहला मोड FIRST FOLD

प्रिय महोदय,

कॉरपोरेट गवर्नेन्स में हरित पहल -
बैंक को ई-मेल संप्रेषण द्वारा अपनी सहमति और
स्वीकृति देना और अपना ई-मेल पता प्रदान करना

शीर्षांकित विषय पर आपके पत्र दिनांकित
25/08/2015 का संदर्भ लेते हुए, मैं आमंत्रित ब्योरे
निम्नवत देता हूँ।

मैं बैंक से वार्षिक रिपोर्ट/ बैठकों के नोटिस और
अन्य संप्रेषणों को हार्ड कॉपी की बजाय ई-मेल के
जरिए प्राप्त करने के लिए अपनी स्वीकृति देता हूँ।

Dear Sir,

**Green initiative in Corporate Governance
Expressing consent and Giving my
acceptance by sending email to the Bank
and providing my email address**

With reference to your letter dated
25/08/2015 on the captioned subject, I
hereby provide the details required as
below.

I give my acceptance to receive Annual
Report/ Notice of the meetings and other
information from the Bank through email
rather than a hard copy.

शेयरधारक का नाम Shareholder's Name	
डीपीआईडी/ क्लाइंट आईडी/ फोलियो नं. DP ID/ Client ID/ Folio No.	
ई-मेल आई डी/ Email ID	
टेलीफोन नं./ Telephone No. (कार्यालय/आवास/ मोबाइल) / (office/ residence/ mobile)	
शेयरधारक का पता/ Shareholder's address	

मैं इस बात से सहमत हूँ कि मैं अपने ई-मेल पते/ टेलीफोन/ मोबाइल नं. में परिवर्तन की सूचना डिपॉजिटरी प्रतिभागी को तथा कैमियो
कॉरपोरेट सर्विसेज लिमिटेड (आई ओ बी के शेयर अंतरण एजेंट) को सतत रूप से रिकॉर्ड को अद्यतन करने के उद्देश्य से देता रहूँगा।

I agree to provide information regarding change in my email ID/ telephone/ mobile no. to the Depository
Participant and Cameo Corporate Services Limited (Share Transfer Agent of IOB) for the purpose of
update of the records on regular basis.

भवदीय/ Yours faithfully

(हस्ताक्षर/ Signature)

शेयरधारक का नाम/ Shareholder's Name

दिनांक / Date:



इण्डियन ओवरसीज बैंक

केंद्रीय कार्यालय, 763, अण्णा सालै, चेन्नै 600002

प्रॉक्सी फॉर्म

(शेयरधारक द्वारा भरे व हस्ताक्षरित किए जाने के लिए)

पंजीकृत पृष्ठ

(यदि बेकागजीकृत नहीं है)

डीपीआईडी व क्लाइंट आई डी

(यदि बेकागजीकृत है)

मैं / हम _____ निवासी

_____ जिला _____ राज्य _____ इण्डियन

ओवरसीज बैंक चेन्नै के शेयरधारक / धारकों के नाते एतद्द्वारा श्री / श्रीमती _____ निवासी _____ जिला

_____ राज्य _____ को, अथवा इनके न होने पर श्री / श्रीमती _____ निवासी _____ जिला

_____ राज्य _____ को इण्डियन ओवरसीज बैंक के शेयरधारकों की बुधवार, दिनांक 23 सितंबर 2015 को

सुबह 10.00 बजे सद्गुरु ज्ञानानंदा हॉल, 318, टीटीके रोड, अलवारपेट, चेन्नै - 600 018 में होने वाली असाधारण बैठक और उसके किसी स्थगन के बाद मुझे / हमारे लिए मेरी / हमारी ओर से वोट देने के लिए प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ / करती हूँ / करते हैं।

आज वर्ष 2015 के _____ माह के _____ दिन हस्ताक्षरित

रु. 1/- का
रेवेन्यू
स्टैम्प
चिपकाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम :

पता :

प्रथम नामांकित / एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक
 - क. एक शेयरधारक के मामले में उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - ख. संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में उल्लिखित पहले शेयरधारक या उनके एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।
 - ग. संघ निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा या एटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो जिसे विधिवत लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो।
 2. किसी प्रॉक्सा का लिखत किसी ऐसे शेयर धारक द्वारा यथेष्ट रूप में हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता हो यदि उस पर उसका निशान लगा दिया जाए जो वह निशान किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आशवासनों के पंजीयक या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित हो।
- प्रॉक्सी के साथ-साथ
3. क. मुख्याारनामा या अन्य कोई प्रधिकार (यदि हो) जिसके तहत इसे हस्ताक्षरित किया गया है या
 - ख. मुख्याारनामा या अन्य कोई प्राधिकार की प्रति जो नोटरी पब्लिक या दण्डाधिकारी द्वारा सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित हो, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज बैंक केंद्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002 में असाधारण सामान्य बैठक की तारीख से चार दिन पहले अर्थात् शुक्रवार, 18 सितंबर 2015 को शाम 5.00 बजे को बैंक के कार्यसमय की समाप्ति से पूर्व जमा करा दिया जाना है।
 4. प्रॉक्सी का कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक विधि स्टाम्प नहीं लगाया गया हो।
 - क. बैंक में जमा किया गया प्रॉक्सी का लिखत अंतिम अप्रतिसंहरणीय होगा।
 - ख. दो व्यक्तियों के पक्ष में मंूर किए गए प्रॉक्सी के लिखत के मामले में एक ही फॉर्म निष्पादित किया जाना है।
 - ग. जिस शेयर धारक ने प्रॉक्सी का लिखत निष्पादित किया है वह संबंधित आसाधारण सामान्य बैठक में स्वयं मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।
 - घ. इण्डियन ओवरसीज बैंक के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।



Indian Overseas Bank

Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

PROXY FORM

(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio

(If not dematerialised)

DP ID & Client ID

(If dematerialised)

I/We _____ resident(s) of

_____ in the district of _____ in the State of _____

being a shareholder / shareholder(s) of Indian Overseas Bank, Chennai, hereby appoint
Shri /Smt. _____ resident of _____ in the district of

_____ in the State of _____ OR failing him/her,

Shri/Smt. _____ resident of _____

in the district of _____ in the state of _____ as my / our proxy to

vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank to be held on Wednesday, 23rd September 2015 at 10.00 A.M. at Sathguru Gnananda Hall, 318 TTK Road, Alwarpet, Chennai 600 018 and at any adjournment thereof.

Signed this _____ day of _____ 2015

Signature of Proxy

Please Affix
Re.1/-
Revenue
Stamp

Name :

Address :

Signature of First named/Sole Shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by the shareholder. If for any reason he/she is unable to sign, then his / her mark shall be affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Indian Overseas Bank.
- The proxy together with
 - the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 - a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Central Office of Indian Overseas Bank with the General Manager (Investor Relations), Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600 002, not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of 05.00 p.m. on Friday 18th September 2015.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped.
 - An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
 - In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
 - The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.
 - No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Overseas Bank.